


17/05/25

19.05.2025:-17.05.2025 राजकिय अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुउपस्थित है। प्रार्थी का मूल वादपत्र खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे स्थगन आदेश दिनांक 14.12.2022 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

